No. 511/90, which relates to the relevance of the service in 'S' grade of ARS or equivalent grades for computing the total length of service for the purpose of placement/promotion in the UGC pay package adopted by the ICAR *vide* its notification dated 9.3.89.

(b) In the petition from the so called Scientific Staff Association, the following demands have been made:—

(i) There should be relaxation in the case of Scientists in position on 31.12.85 in the condition that for promotion/ placement to higher scales the Scientist should have made a mark in the area of Research/Teaching as evidenced by Research Publications in reputed journals, variety/product/technology developed and innovations in teaching/ extension education.

(ii) The Career Advancement Scheme should be modified so far as it relates to the condition that for promotion / placement in accordance with the UGC Career Advancement Scheme which is also being applied in all the Agricultural Universities where Research/Teaching and extension are integral component of the mandate as in the ICAR Institutes.

(iii) The cases of placement/ promotion of all eligible S-1 Scientists as per Career Advancement Scheme should be done expeditiously.

(c) The petition has been examined and the demand for relaxation or modification of the relevant condition has not been accepted for the reason that the main mandate of ICAR is research and a Scientist should show evidence of his achievements in research to earn promotion/placement to higher scales. So far as proposals for placement/promotion to higher scales in accordance with the Career Advancement Scheme is concerned, recommendations of Departmental Promotion Committees are under process.

शुष्क भूमि परियोजनाएं

3843. **श्री विश्वास रामराव पाटिल:**
श्री अजीत जोगी:
श्री छोटू भाई पटेल:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शुष्क भूमि क्षेत्रों की कृषि विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा अब तक कोई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना शुरु की गई है; और यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान राज्य-वार कौन-कौन शुष्क भूमि परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और उपर्युक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के अधीन प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) शुष्क क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि वर्षा पर आधारित कृषि में कृषि ऋण उपलब्धता और फसल बीमा की स्थिति काफी कमजोर है; और यदि हां, तो इन क्षेत्रों में कृषि के काम-काज में तीव्रता लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सरकार द्वारा 1990-91 में वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए एक राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना शुरु की गई है और यह परियोजना 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जारी रखी जा रही है। जिसके उद्देश्य विवरण-1 में दिये गये हैं। **(नीचे देखिये)** तथापि, बारानीभूमि वाले क्षेत्र के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है।

(ख) विवरण 2 संलग्न है **(नीचे देखिये।)**

(ग) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, वर्षासिंचित क्षेत्रों में उपज बढ़ाने के लिए स्वःस्थानिक जल संरक्षण एवं पनधारा आधार पर समेकित बारानी भूमि कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए बनायी गयी है।

(घ) वर्षासिंचित क्षेत्रों सहित कृषि ऋण की कुल उपलब्धता बढ़ रही है। 1985-86 के दौरान (7वीं योजना का आधार वर्ष) वितरित किया गया ऋण 7005.55 करोड़ रुपये था जो 1991-92 में बढ़कर

11199.77 करोड़ रुपये हो गया। 1992-93 के दौरान कृषि ऋण के वितरण का लक्ष्य 17438.41 करोड़ रुपये है। वृहत फसल बीमा योजना क्षेत्र आधारित एवं ऋण से जुड़ी योजना है। यह स्वैच्छिक स्वरूप की है। राज्य यह योजना शुरु करने के लिए स्वतंत्र है। सहकारी समितियों, ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल ऋण का लाभ उठाने वाले सभी कृषक बीमा कवरेज के पात्र है।

विवरण-1

8वीं योजना के दौरान वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के उद्देश्य

इस परियोजना के तहत देश के विस्तृत वर्षासिंचित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने और बायो मास के सतत उत्पादन के दोहरे उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास किये जायेंगे जिनमें निम्न पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा:—

(1) भूमि, जल, पौध, पशु एवं मानव संसाधनों जैसे प्राकृतिक सम्पदा का व्यवस्थित एवं समेकित तरीके से संरक्षण, उन्नयन एवं उपयोग। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों हेतु खाद्य, चारा, ईंधन, रेशे, इमारती लकड़ी एवं बायो मास की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना है ताकि विविध भू-उपयोग के माध्यम से मानव एवं पशु जनसंख्या की बढ़ती हुई मांगों को पूरा किया जा सके।

(2) छोटे एवं सीमान्त कृषकों, भूमि हीन श्रमिकों, आदिवासियों आदि जैसे विशेषकर ग्रामीण आबादी की साधनहीन वर्गों की जीवनयापन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिछड़े वर्षासिंचित क्षेत्रों में परियोजना अवधि के दौरान व्यापक रोजगार एवं परियोजना की समाप्ति के बाद रोजगार बढ़ाने हेतु परियोजना की समाप्ति के बाद नियमित रोजगार का सृजन।

(3) भूमि एवं वर्षा जल के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से उत्पादन पर्यावरण में सुधार एवं पारिस्थितिकीय संतुलन की पुर्नस्थापना। इस प्रक्रिया में स्व-स्थानिक नमी संरक्षण, वैज्ञानिक उत्पादन पद्धतियों की शुरुआत, अपवाह प्रबंधन संरचनाओं के तंत्र एवं भूमिगत जल के रिचार्ज के तरीकों से मानव एवं पशुधन के पीने एवं घरेलू खपत के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाना, जीवन रक्षक सिंचाई एवं कृषि-जलवायु क्षमताओं के अनुसार समुचित नकदी फसलों का बोया जाना सुनिश्चित होगा।

(4) सिंचित एवं वर्षासिंचित क्षेत्रों के मध्य असमानताओं में कमी लाना। अंततः बायो-मास का स्थायी उत्पादन एवं परिसंस्करण, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम जीवन में योगदान करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर लोगों का बड़े पैमाने पर आना कम होगा।

(5) खाद्य, ईंधन एवं चारे के अतिरिक्त परियोजना में बढ़े हुए आकस्मिक रोजगार, कृषि एवं डेरी उत्पाद के विपणन योग्य अतिरेक, उपयुक्त क्षेत्र में सब्जियों, धनियां, जीरा, औषधीक पौधों जैसे नकदी फसलों को उगा कर वर्षा से सिंचाई करने वाले कृषकों एवं भूमिहीन कृषि श्रमिकों की नकद आय बढ़ाने के प्रयास किए जायेंगे।

पनधारा के तीनों स्थानिक घटक नामतः कृष्य भूमि, गैर-कृष्य भूमि एवं जल निकासी पद्धतियों को प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए एक जैविक भू-जल वैज्ञानिक निकाय के रूप में माना जायेगा।

विवरण-2

क्रम सं॰	राज्य का नाम	वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना		विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन आवंटित धन राशि (लाख रुपये में)	
		1991-92 के दौरान निर्मुक्त की गई धनराशि	1992-93 के दौरान आवंटित धनराशि	1991-92	1992-93
1.	आन्ध्र प्रदेश	1120.00	1138.00	500.00	666.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.00	18.00	—	—
3.	असम	350.00	350.00	—	—
4.	बिहार	780.00	776.00	—	—
5.	गोवा	17.00	18.00		
6.	गुजरात	1180.00	1180.00	338.70	317.90
7.	हरियाणा	240.00	240.00	324.69	321.71
8.	हिमाचल प्रदेश	80.00	80.00	194.40	301.30
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	60.00	404.16	555.27
10.	कर्नाटक	1420.00	1420.00	1031.03	969.20
11.	केरल	300.00	300.00	—	—
12.	मध्य प्रदेश	2600.00	2600.00	231.29	360.00
13.	महाराष्ट्र	2590.00	2590.00	435.15	673.21
14.	मणिपुर	15.00	20.00		
15.	मेघालय	25.00	25.00		
16.	मिजोरम	10.00	10.00		
17.	नागालैण्ड	25.00	25.00		
18.	उड़ीसा	775.00	780.00	319.27	307.96
19.	पंजाब	95.00	100.00	406.34	515.50
20.	राजस्थान	1940.00	1952.00	554.38	396.92
21.	सिक्किम	25.96	40.00		
22.	तमिलनाडु	508.11	520.00	134.00	130.00
23.	त्रिपुरा	35.00	35.00		
24.	उत्तर प्रदेश	1150.00	1160.00	1903.80	1184.00
25.	पश्चिम बंगाल	540.00	560.00		
26.	दादर नगर और हवेली	0.465	0.50		
27.	दमन और दीव	0.465	0.50		
28.	लक्षदीप	—	0.50		
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	0.50		
	कुल:	15900.00	16000.00	6777.21	6699.77